बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या – 65/2020 के अन्तर्गत सहायक संग्रहालयाध्यक्ष/शोध एवं प्रकाशन पदाधिकारी/सहायक निदेशक के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों एवं दिनांक–04.02.2024 को आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए विस्तृत कार्यक्रमः–

कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के अन्तर्गत सहायक संग्रहालयाध्यक्ष/शोध एवं प्रकाशन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (बिहार संग्रहालय सेवा) के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित वि॰सं॰–65/2020 के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक–24.05.2023 को प्रकाशित किया गया था एवं दिनांक–04.02.2024 को आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः–

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:00 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 2:00 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
बुधवार 28.02.2024	650022, 650028, 650090, 650130, 650137, 650169, 650308, 650320, 650330, 650335, 650353, 650389, 650416, 650427, 650429, 650446, 650454, 650474,	650489, 650500, 650542, 650558, 650570, 650573, 650603, 650641, 650655, 650666, 650674, 650681, 650686, 650696, 650776, 650778, 650779,

02. अनुक्रमांक–650776, 650778 एवं 650779 का अभ्यर्थिता औपबंधिक हैं। दिनांक–04.02.2024 को आयोजित लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के फलाफल से प्रभावित होगी।

03. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार उक्त विज्ञापन के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के ई–प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।

04. आयोग के उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र– I में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

05 **सभी उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाईन आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग–अलग) में भी लाना अनिवार्य होगाः–**

(i) लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति (अनुलग्नक सहित)।

(ii) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।

(iii) विज्ञापन की कंडिका–3 में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत अंकित डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

(iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (NCLC) में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग), जाति एवं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, का उल्लेख हो।

(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक 6026, दिनांक–19.04.2022 के आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र।

(ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 एवं पत्र संख्या–12123, दिनांक–23.06.2023 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

(x) भूतपर्वू सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xi) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त) यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि।

(xiii) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ (Recent Photograph)

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति एक सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.10.2020 तक तथा 07.12.2023 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.12.2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है।

06. उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।

07. यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपकी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी।

08. (i) यदि आपने अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेजय सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के

मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक–08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक–10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iii)EWS के आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलायें यदि अपने पति के नाम से निर्गत EWS प्रमाण पत्र समर्पित करती हैं तो ऐसी महिला उम्मीदवारों को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा EWS आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

09. **दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

10. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 (एक) घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

11. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

12. उक्त विज्ञापन की लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन (Documents Verification) के उपरांत साक्षात्कार आयोजित के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जायेगी।

13. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

15/07/24

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना